उनवानः– डालचन्द बनाम तहसीलदार

भीम जि॰:– 68/2024

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः– 10.06.2024

ं0 68/2024

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

डालचन्द पुत्र बत्तू मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम। वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर गंगापुर सिटी।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी। प्रतिवादीगण

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः– 31.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शेखपुरा की राजी ख0न0 104/0.04, 33/0.34, कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 मे वादी के मृतक ता बत्तू खातेदार काश्तकार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व कर्मचारियो ने गलत व परवाही से वादी के पिता नाम बत्तू पुत्र जसराम के स्थान पर पत्तू पुत्र जसराम दर्ज कर या जो कि गलत है। वादी के पिता के समस्त सरकार दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु ण पत्र, मे बत्तू पुत्र जसराम नाम दर्ज है। जो सही है। वादी के पिता बत्तू पुत्र जसराम स्वर्गवास दिनांक 23.10.2007 को हो गया है जिसने अपने पीछे वादी डालचन्द को छोडा जो उसके तर्के पर काबिज एवं दखील है एवं कायम मुकाम वारिस है।

बॉका दिनांक 06.06.2024 को वादी अपने विरासत का नामांतकरण खुलवाने के ये जमाबन्दी निकलवाई तथा हल्का पटवारी के पास नामांतकरण खुलवाने के लिये गया तब कर वादी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक ा है।

अतः दावा वादी इन्द्राज डिक्री किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम खपुरा की आराजी ख0न0 104/0.04, 33/0.34, कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 मे पत्तू जसराम के स्थान पर बत्तू पुत्र जसराम दर्ज किया जवे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तिवादी पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात की खातेदारी तू पुत्र जसराम हि0 1/3 दर्ज रिकार्ड है साबिक रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2031 मे खाता न0 26 मे खातेदार का नाम बत्तू पुत्र जसराम जाति मीना निवासी शेखपुरा दर्ज रिकार्ड । दौराने भू–प्रबन्ध विभाग बत्तू पुत्र जसराम के स्थान पर पत्तू पुत्र जसराम दर्ज हो गया। दी के पिता के दस्तावेजात मे बत्तू पुत्र जसराम का अंकन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:03 IST
Reason: Self Attested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे त तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी पेता का नाम पत्तू पुत्र जसराम जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादी के पिता का नाम बत्तू पुत्र जसराम जाति मीना है। वादी के पिता के समस्त दस्तावेजात मे बत्तू पुत्र राम जाति मीना का अंकन है। इसलिये वर्णित आराजीयात मे वादी के पिता का नाम पत्तू जसराम के स्थान पर बत्तू पुत्र जसराम दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने जबाब/रिपोर्ट मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन या कि वर्णित आराजीयात मे वादी के पिता का नाम पत्तू पुत्र जसराम जाति मीना दर्ज ार्ड हैं वादी के पिता के दस्तावेजात मे बत्तू पुत्र जसराम जाति मीना दर्ज है। तथा पत्तू जसराम व बत्तू पुत्र जसराम ग्राम शेखपुरा मे एक ही व्यक्ति था। अतः उक्तानुसार ास्व रिकार्ड मे शुद्व किया जाना उचित है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल ग्राम ब्रपुरा की आराजी ख0न0 104, 33 कुल किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 मे पत्तू पुत्र जसराम स्सा 1/3 जाति मीना, राकेश दत्तक पुत्र खिल्लू हिस्सा 1/3 जाति मीना, हुकमसिह पुत्र सराम हिस्सा 1/3 जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। वादी का आधार कार्ड न0 5615 5137 23, मे वादी के पिता का नाम बत्तू दर्ज है, तथा वादी के पिता का मतदाता पहचान पत्र, यु प्रमाण पत्र मे बत्तू पुत्र जसराम तथा वादी की मॉ कम्पूरी के मतदाता पहचान पत्र मे पति रूप मे बत्तू का अंकन है। तथा पत्रावली मे शामिल ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत 31–34 के खाता न0 26 मे बत्तू, खिल्लू, हुकमसिंह पुत्रान जसराम जाति मीना निवासी खपुरा का अंकन है। इसी अनुरूप तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट व बहस मे नाम रूस्ती करने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन अनुसार वादी का दावा इन्द्राज दुरूस्ती ोकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 104/0.04, 33/0.34 कुल किता 2 कुल कवा 0.38 है0 मे वादी के पिता का नाम पत्तू पुत्र जसराम के स्थान पर बत्तू पुत्र जसराम र्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ लना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर ाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:03 IST
Reason: SelfAttested